अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

चिकित्सीय आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए कृपया 112 पर डायल करें।

रजि.न.34300/80 | संख्या 200 | श्री विजय पुरम, सोमवार, 27 जुलाई 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

डिगलीपुर में एरियल बे–गांधी नगर–स्मिथ द्वीप को जोड़ने वाली चार्टर्ड फेरी सेवा प्रारंभ

श्री विजय पुरम, 26 जुलाई।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में फेरी सेवाओं की गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा सुगमता को और बेहतर बनाने की अपनी पहल को आगे बढ़ाते हुए, जहाज़रानी सेवा निदेशालय ने तीन संचालकों के साथ हाल ही में संपन्न चार्टर अनुबंध के अंतर्गत डिगलीपुर में 50–यात्री क्षमता वाली चार्टर्ड फेरी सेवा का संचालन प्रारंभ कर दिया है।

एरियल बे–गांधी नगर–स्मिथ द्वीप को जोड़ने वाली चार्टर्ड फेरी सेवा का संचालन 26 जुलाई, 2026 को सुबह 9 बजे प्रारंभ हुआ। इस सेवा का विधिवत शुभारंभ डिगलीपुर के सहायक आयुक्त श्री संतोष प्रकाश ने एरियल बे जेटी पर आयोजित एक समारोह में किया। इस अवसर पर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य तथा जहाज़रानी सेवा के उप निदेशक श्री जे. गोपीनाथ भी उपस्थित थे।

इस चार्टर्ड फेरी सेवा की शुरुआत का उद्देश्य एरियल बे, गांधी नगर तथा स्मिथ द्वीप के बीच यात्रा करने वाले स्थानीय निवासियों, दैनिक यात्रियों तथा पर्यटकों को विश्वसनीय एवं दक्ष परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। इस पहल से डिगलीपुर क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने के साथ–साथ यात्रियों को अधिक सुविधा तथा संचालन में बेहतर दक्षता सुनिश्चित होने की अपेक्षा है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन नौकाओं को

शामिल किए जाने से वर्तमान यात्री किराए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किराया संरचना का निर्धारण एवं अधिसूचना पूर्ववत जहाज़रानी सेवा निदेशालय द्वारा ही जारी की जाएगी, जिससे यात्रियों को सरकार द्वारा अनुमोदित वर्तमान दरों पर ही फेरी सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि जहाज़रानी सेवा निदेशालय विश्वसनीय फेरी सेवाओं को शामिल कर द्वीपसमूह में संपर्क व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने तथा सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

राष्ट्र के कृतज्ञ वीर सपूतों को श्रद्धांजलि

कारगिल विजय दिवस पर कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

श्री विजय पुरम, 26 जुलाई

कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आज सायंकाल यहां के आकर्षक फ्लैग प्वाइंट पर देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्मरण एवं श्रद्धांजलि को समर्पित इस संध्या में जोशीले देशभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ–साथ द्वीपसमूह के कवियों द्वारा भावपूर्ण काव्य–पाठ प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से कारगिल युद्ध के दौरान राष्ट्र की रक्षा करते हुए वीरता एवं सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

यूनिटी ऑर्केस्ट्रा तथा गीत संगीत म्यूज़िकल ग्रुप के कलाकारों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। द्वीपसमूह के कवि श्री आयुष कुमार दुबे एवं श्रीमती नीता चंद्रा ने अपनी स्वरचित कविताओं का पाठ किया। टीजीसीई की छात्राएं सुश्री अंजलि मुंडा एवं सुश्री हाशिरा हनीफ, अण्डमान लॉ कॉलेज की सुश्री अमृता बिस्वास एवं सुश्री जे. नताशा, तथा जेएनआरएम के श्री कुणाल बैन, सुश्री एस. दिव्या एवं सुश्री सिमरन मुंडा ने भी राष्ट्र को समर्पित अपनी स्वरचित कविताओं का प्रभावशाली पाठ किया। मॉडल स्कूल के छात्र श्री गणेश मिश्रा ने अपने देशभक्ति गीत से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। यहां कला एवं संस्कृति विभाग से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस कार्यक्रम ने उपस्थित लोगों में एकता, साहस तथा मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को पुनर्जीवित करते हुए देशभक्ति का उत्साह जागृत किया। फ्लैग प्वाइंट पर बड़ी संख्या में नागरिकों ने कार्यक्रम में भाग लिया तथा गर्व एवं कृतज्ञता के साथ राष्ट्र के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्बाइंस कोव तट पर 'म्यूज़िकल हार्मनी बाय नाइट' सांस्कृतिक संध्या का रंगारंग समापन

श्री विजय पुरम, 26 जुलाई

श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद द्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यटन विभाग तथा कला एवं संस्कृति निदेशालय के समन्वय से आयोजित दो दिवसीय सांस्कृतिक संध्या 'म्यूज़िकल हार्मनी बाय नाइट' का आज यहां के मनोरम कार्बाइंस कोव समुद्र तट पर सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करना, आगंतुकों के सांस्कृतिक अनुभव को समृद्ध बनाना तथा आकर्षक सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना था।

कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने मधुर गीतों तथा रंगारंग सांस्कृतिक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। इन प्रस्तुतियों को आम जनता एवं स्थानीय पर्यटकों से अत्यंत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। उपस्थित लोगों ने द्वीपसमूह की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा स्थानीय कलाकारों की प्रतिभा की भरपूर सराहना की। कार्बाइंस कोव समुद्र तट पर इंस्पिरेशन डांस स्टूडियो, बीआरडब्ल्यू म्यूज़िक विंग तथा ऑल्फा म्यूज़िकल के कलाकारों ने अपनी आकर्षक प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह का भरपूर मनोरंजन किया।

द्वितीय मानसून बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पुरूष वर्ग में केएन ब्रदर्स और महिला वर्ग में न्यू पहाड़गांव बने विजेता

श्री विजय पुरम, 26 जुलाई

खेल एवं युवा कार्य निदेशालय ने शिक्षा निदेशालय तथा पर्यटन निदेशालय के सहयोग से यहां के लोकप्रिय कार्बाइंस कोव समुद्र तट पर द्वितीय मानसून बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन ओपन पुरुष वर्ग एवं ओपन महिला वर्ग में किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य बीच वॉलीबॉल को बढ़ावा देना, खेल भावना को प्रोत्साहित करना तथा वॉलीबॉल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक रोमांचक मंच उपलब्ध कराना था।

प्रतियोगिता में कुल 39 टीमों ने भाग लिया। सभी के लिए खुली इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी, पर्यटक, विद्यार्थी तथा परिवारजन अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराते हुए टीमों का उत्साहवर्धन करने पहुंचे और सप्ताहांत के इस बहुप्रतीक्षित आयोजन का हिस्सा बने। फाइनल मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों की शानदार सर्विस, लंबी रैलियों तथा दमदार स्मैश ने दर्शकों की खूब तालियां और सराहना बटोरी।

पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में केएन ब्रदर्स की टीम विजेता बनी, जबकि महिला वर्ग के फाइनल में न्यू पहाड़गांव की टीम ने चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया।

खेल एवं युवा कार्य विभाग के सहायक निदेशक श्री वी. रंजीत कुमार ने विजेता टीमों को ट्रॉफियां प्रदान कर सम्मानित किया।

एसबीआई–आरएसईटीआई दे रहा है वंचित युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण

स्थापना से अब तक 7,895 अभ्यर्थियों को किया गया प्रशिक्षित

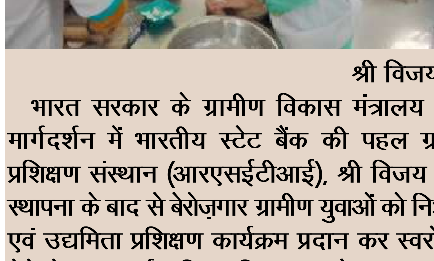

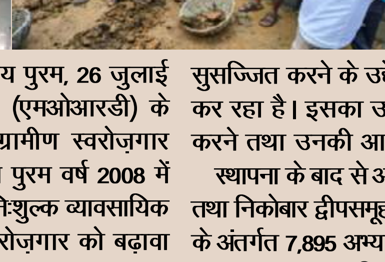

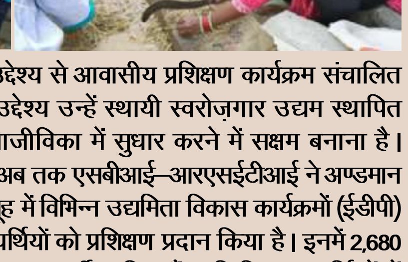

श्री विजय पुरम, 26 जुलाई

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के मार्गदर्शन में भारतीय स्टेट बैंक की पहल ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), श्री विजय पुरम वर्ष 2008 में स्थापना के बाद से बेरोज़गार ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क व्यावसायिक एवं उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर स्वरोज़गार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

श्री विजय पुरम के मोहनपुरा स्थित एसबीआई परिसर की द्वितीय मंजिल से संचालित यह संस्थान वंचित समुदायों के युवाओं को व्यावसायिक कौशल, उद्यमिता संबंधी ज्ञान तथा व्यक्तित्व विकास से सुसज्जित करने के उद्देश्य से आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इसका उद्देश्य उन्हें स्थायी स्वरोज़गार उद्यम स्थापित करने तथा उनकी आजीविका में सुधार करने में सक्षम बनाना है।

स्थापना के बाद से अब तक एसबीआई–आरएसईटीआई ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में विभिन्न उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ईडीपी) के अंतर्गत 7,895 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इनमें 2,680 पुरुष तथा 5,215 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से लगभग 70 प्रतिशत ने सफलतापूर्वक स्वरोज़गार उद्यम स्थापित किए हैं, जो ग्रामीण उद्यमिता तथा आर्थिक सशक्तिकरण में संस्थान के योगदान को दर्शाता है। शेष पृष्ठ 4 पर

अनिडको द्वारा कार्यस्थल पर पॉश पर जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित

श्री विजय पुरम, 26 जुलाई

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (अनिडको) द्वारा गत 17 जुलाई को यहां विकास भवन के सम्मेलन कक्ष में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम (पॉश) विषय पर संवेदनशीलता एवं क्षमता निर्माण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राइट्स फॉर ऑल (आरएफए) की अध्यक्षा श्रीमती रुबीना सिद्दीक़ी ने संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम में निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। सत्र के दौरान श्रीमती सिद्दीक़ी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम,

2013 (पॉश अधिनियम) के प्रमुख प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कर्मचारियों के अधिकारों एवं दायित्वों के साथ–साथ शेष पृष्ठ 4 पर

म्यांमार के नागरिकों के फरार होने संबंधी सूचना

श्री विजय पुरम, 26 जुलाई

यहां जारी विज्ञप्ति में दक्षिण अण्डमान ज़िले के पुलिस अधीक्षक ने सामान्य जन को सूचित किया है कि दो म्यांमार के नागरिक, जिनके नाम वाई फ्यो तथा आये तुन हैं, दिनांक 25 जुलाई, 2026 की मध्यरात्रि के दौरान प्रोथरापुर स्थित मुक्त संकट शिविर से फरार हो गए हैं। सूचना प्राप्त होते ही दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस द्वारा तत्काल खोज अभियान प्रारंभ कर दिया गया। फरार व्यक्तियों का पता लगाने तथा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सघन प्रयास जारी हैं। उक्त दोनों म्यांमार के नागरिकों का हुलिया ऊपर उल्लिखित है। प्रेस विज्ञप्ति में सामान्य जन से सतर्क रहने का भी अनुरोध किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्त व्यक्तियों के ठिकाने के संबंध में कोई भी सूचना हो, तो वह तत्काल निकटतम पुलिस थाना को सूचित करें अथवा दूरभाष संख्या 112, 9474260666, 03192–250525 एवं 03192–236641 पर संपर्क करें। सूचना देने वाले व्यक्ति को अण्डमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा उपयुक्त पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

विद्यार्थी विज्ञान मंथन (वीवीएम) 2026–27 के लिए पंजीकरण आमंत्रित

श्री विजय पुरम, 26 जुलाई

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम), कोलकाता ने एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा विज्ञान भारती (विभा) के साथ मिलकर कक्षा 6वीं से 11वीं तक के विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन (वीवीएम) 2026–27 नामक व्यापक कार्यक्रम आयोजित करने हेतु साझेदारी की है। विज्ञान केंद्र, वीवीएम के राज्य समन्वयक के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन श्री विजय पुरम में करेगा।

यह प्रतिभा खोज परीक्षा अंग्रेजी एवं हिन्दी सहित भारतीय 12 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप/डेस्कटॉप आदि डिजिटल उपकरणों (ऐप आधारित) के माध्यम से आयोजित किए जाने के लिए तैयार की गई है।

इस प्रतिभा खोज परीक्षा से विद्यार्थियों को निम्नलिखित प्रकार से लाभ होगाः

- विज्ञान के क्षेत्र में भारत के योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।
- एक प्रमुख वैज्ञानिक तथा उनके कार्यों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा।
- व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर प्राप्त होगा।
- विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा।
- राष्ट्रीय स्तर एवं आंचलिक स्तर के सभी विजेता देश की अग्रणी अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) प्रयोगशालाओं में आयोजित इंटर्नशिप–सह–गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सृजन) में भाग लेंगे।
- राष्ट्रीय स्तर के सभी विजेताओं को भास्कर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

विज्ञान केंद्र द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कक्षा 6वीं से 11वीं तक के इच्छुक विद्यार्थियों को इस विशिष्ट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए https://vvm.org.in लिंक के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने विद्यालय के माध्यम से पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है। इच्छुक विद्यार्थी किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से सायं 5.30 बजे तक विज्ञान केंद्र में स्थापित 'हेल्प डेस्क' पर भी संपर्क कर सकते हैं।

पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 9434263302 अथवा 9434290770/9004996654 पर संपर्क किया जा सकता है।

द्वीपों के पंजीकृत सांस्कृतिक संगठनों से अनुदान सहायता हेतु आवेदन आमंत्रित

श्री विजय पुरम, 26 जुलाई।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के कला एवं संस्कृति विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए अनुदान सहायता (ग्रांट–इन–एड/जीआईए) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में स्थित पंजीकृत सांस्कृतिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

यह सहायता "स्थानीय सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करने संबंधी अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नियम", दिनांक 3 सितंबर, 2018 के अनुसार प्रदान की जाएगी। प्रत्येक पात्र संगठन को 25,000 रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। पात्रता के लिए सांस्कृतिक संगठनों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगीः

(1) संगठन का पंजीकृत कार्यालय अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में होना चाहिए।

(2) संगठन कला एवं संस्कृति के संवर्धन, राष्ट्रीय एकता तथा सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न होना चाहिए।

(3) उक्त क्षेत्रों में संगठन कम से कम एक वर्ष से कार्यरत होना चाहिए।

इच्छुक संगठन निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों सहित अपना आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन का निर्धारित प्रारूप वेबसाइट wwww.andaman.gov.in पर उपलब्ध लिंक https://artculture.andamannicobar.gov.in/admin-pannel/whatsnew/6-GIA%20format%2026-27.pdf से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा कला एवं संस्कृति निदेशालय, सेल्यूलर जेल परिसर से प्राप्त किया जा सकता है।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन निदेशक, कला एवं संस्कृति निदेशालय, सेल्यूलर जेल परिसर, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के नाम प्रेषित किए जाने चाहिए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई है।

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस

साइबर अपराध के संबंध में जन परामर्श

श्री विजय पुरम, 26 जुलाई

हाल ही में व्हाट्सएप के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों आदि का प्रतिरूपण करने के मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई है। ये ठग उच्च पदस्थ अधिकारियों, व्यक्तियों तथा अन्य विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के छायाचित्रों व प्रोफाइलों का उपयोग करते हुए सरकारी कर्मचारियों व निजी व्यक्तियों के साथ बातचीत प्रारम्भ करते हैं। वे स्वयं को उन अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत व प्रतिरूपित करते हुए विभिन्न बहाने बनाकर धन की मांग करते हैं और/या अपने लिए ऑनलाइन वस्तुएँ या उपहार खरीदने का अनुरोध करते हैं।

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस सभी से आग्रह करती है कि वे इस प्रकार की धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहें तथा व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबरों से बातचीत करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। ऐसे मामलों की सूचना वेब पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर तथा/अथवा टोल–फ्री साइबर हेल्पलाइन संख्या 1930 पर भी दी जा सकती है।

ऑनलाइन सुरक्षित व्यवहार तथा साइबर सुरक्षा संबंधी सुझावों पर नियमित परामर्श प्राप्त करने के लिए कृपया फेसबुक, ट्विटर तथा इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों पर अण्डमान तथा निकोबार पुलिस का अनुसरण करें।

अनिडको द्वारा कार्यस्थल पर पॉश पर

पृष्ठ 1 का शेष

सुरक्षित, सम्मानजनक एवं समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रतिभागियों ने पॉश शपथ ली तथा कार्यस्थल को लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त बनाए रखने और गरिमा, सम्मान तथा नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह कार्यक्रम जागरूकता बढ़ाने, संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने तथा सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, समावेशी एवं सम्मानजनक कार्यस्थल के निर्माण के प्रति अनिडको की निरंतर प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

स्थापना से अब तक 7,895 अभ्यर्थियों को

पृष्ठ 1 का शेष

आरएसईटीआई भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन और भारतीय स्टेट बैंक की संयुक्त पहल के रूप में कार्य कर रहा है। संस्थान कृषि, उत्पाद आधारित व्यवसाय, प्रक्रिया आधारित व्यवसाय तथा सामान्य उद्यमिता के क्षेत्र में उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

कृषि क्षेत्र के अंतर्गत मशरूम उत्पादन तथा सब्ज़ नर्सरी प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। आगामी महीनों में सतत कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शहद उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन की मूलभूत जानकारी तथा पॉली हाउस कृषि उद्यमी विषयों पर नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

उत्पाद आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला सिलाई, पापड़, अचार तथा मसाला पाउडर निर्माण शामिल हैं, जबकि प्रक्रिया आधारित कार्यक्रमों में सहायक लेखा–रक्षक, हाउस आया, राजमिस्त्री एवं कंक्रीट कार्य, सौंदर्य प्रसाधन केंद्र प्रबंधन तथा फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी जैसे व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। विशेष रूप से उद्योग निदेशालय द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों के लिए सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें व्यवहार कौशल, उद्यम प्रबंधन तथा व्यवसाय योजना पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि 12 से 38 दिन तक होती है। सभी कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण सामग्री, अल्पाहार तथा दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण पद्धति में कक्षागत अध्ययन, व्यावहारिक प्रदर्शन, प्रेरणादायक वीडियो, संचार कौशल विकास, बाज़ार सर्वेक्षण, समूह गतिविधियां तथा उद्यमिता दक्षता विकास संबंधी अभ्यास शामिल हैं।

श्री विजय पुरम स्थित ग्रामीण विकास निदेशालय के सहयोग से एसबीआई– आरएसईटीआई ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए परिसर से बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर दूरस्थ द्वीपों तक अपनी पहुंच का विस्तार किया है। वर्ष 2020 से ऐसे कार्यक्रम कैम्पबेल बे, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, रंगत, मायाबंदर तथा डिगलीपुर में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित जागरूकता शिविर भी आयोजित कर रहा है ताकि बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गार एवं उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जा सके।

वर्षों के दौरान एसबीआई–आरएसईटीआई ने द्वीपसमूह की स्थानीय रोज़गार संभावनाओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान कर बेरोज़गार तथा वंचित युवाओं को सफल उद्यमियों में परिवर्तित करने वाली एक प्रभावी संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में बढ़ती पर्यटन संभावनाओं को देखते हुए एसबीआई–आरएसईटीआई शहीद द्वीप, कार निकोबार तथा मायाबंदर में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक माह का हल्के मोटर वाहन स्वामी–चालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की योजना बना रहा है। इसके अतिरिक्त यात्रा एवं पर्यटन मार्गदर्शक, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी तथा विशेष रूप से ड्रोन फोटोग्राफी पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थी, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों, अनुसूचित जनजाति समुदायों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह परिवारों से संबंधित हैं, वे अपना आधार कार्ड तथा पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की प्रतियों के साथ एसबीआई–आरएसईटीआई कार्यालय, मोहनपुरा, श्री विजय पुरम में पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी अपनी जानकारी sbirseti.portblair@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि संस्थान ग्रामीण युवाओं के बीच कौशल विकास के अवसरों का विस्तार करने तथा उद्यमिता को सुदृढ़ बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है, जिससे अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में समावेशी विकास एवं सतत आजीविका सृजन को बढ़ावा मिल सके।

नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत डीसी–एसपी कप अंतर–ग्राम वॉलीबॉल प्रतियोगिता 27 जुलाई से

श्री विजय पुरम, 26 जुलाई

यह सूचित किया जाता है कि उपायुक्त (दक्षिण अण्डमान) द्वारा पुलिस अधीक्षक (दक्षिण अण्डमान), खेल एवं युवा कार्य निदेशालय, शिक्षा निदेशालय तथा मेरा युवा भारत (माई भारत) के सहयोग से नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए डीसी–एसपी कप अंतर–ग्राम वॉलीबॉल प्रतियोगिता–2026 का आयोजन 27 जुलाई से 8 अगस्त, 2026 तक फरारगंज पंचायत, श्री विजय पुरम, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप तथा लिटिल अण्डमान में किया जा रहा है। "बेहतर कल के लिए साथ–साथ" तथा "हमारा ज़िला, हमारा गौरव" की मार्गदर्शक अवधारणाओं पर आधारित यह आयोजन सामाजिक, पर्यावरणीय तथा जनस्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जागरूकता और प्रभावी परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करेगा।

यह प्रतियोगिता जनभागीदारी की भावना का उपयोग करते हुए स्वच्छ (एक स्वच्छ ज़िला), स्वस्थ (एक स्वस्थ समुदाय) तथा सक्षम (एक सक्षम नागरिक समाज) ज़िला की त्रिस्तरीय अवधारणा के माध्यम से प्रमुख नीतिगत उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगी।

यह प्रतियोगिता एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के इतिहास में पहली बार नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत ज़िला प्रशासन द्वारा खेल, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास विभागों के समन्वय से दक्षिण अण्डमान ज़िला स्तरीय अंतर–पंचायत वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यह पहल खेलों को बढ़ावा देने, स्वस्थ एवं नशामुक्त जीवनशैली को प्रोत्साहित करने तथा दक्षिण अण्डमान में सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करने के प्रति ज़िला प्रशासन की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इस प्रतियोगिता का उद्देश्य वॉलीबॉल खेल को लोकप्रिय बनाना, खेल भावना का विकास करना, सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करना तथा ज़िले के विभिन्न गांवों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक मंच उपलब्ध कराना है। नशा मुक्ति अभियान के माध्यम से यह प्रतियोगिता युवाओं को खेलों में सक्रिय भागीदारी, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा नशामुक्त समाज के संदेश को सुदृढ़ करने के लिए भी प्रेरित करेगी।

प्रतियोगिता की घोषणा के बाद पूरे ज़िले में ग्राम पंचायत प्रधानों, युवाओं, वॉलीबॉल प्रेमियों तथा आम जनता के बीच अत्यधिक उत्साह देखा गया है। प्रतियोगिता में कुल 31 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें फरारगंज पंचायत की 19 टीमें, श्री विजय पुरम की 3 टीमें, स्वराज द्वीप की 2 टीमें, शहीद द्वीप की 1 टीम तथा लिटिल अण्डमान की 6 टीमें शामिल हैं। यह दक्षिण अण्डमान के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापक भागीदारी को दर्शाता है।

ज़िला प्रशासन का मानना है कि गांव एवं पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से युवाओं का मनोबल बढ़ेगा, खेलों में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा, ज़मीनी स्तर की प्रतिभाओं की पहचान एवं उनका विकास होगा तथा नई पीढ़ी स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित होगी। यह प्रतियोगिता यह सशक्त संदेश भी देती है कि वास्तविक स्वतंत्रता नशे से दूर रहने में है तथा खेल "नशे से मुक्ति" के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। साथ ही यह अनुशासन, टीम भावना, एकता तथा सामुदायिक सहयोग को भी बढ़ावा देती है।

विजेता टीमों को निम्नलिखित नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगेः

- प्रथम पुरस्कार 12,000 रूपए
- द्वितीय पुरस्कार 6,000 रूपए

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रशासन को विश्वास है कि जनसहभागिता एवं पूर्ण सहयोग से डीसी–एसपी कप के अंतर्गत आयोजित यह ऐतिहासिक खेल प्रतियोगिता भव्य सफलता प्राप्त करेगी तथा खेलों के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश जन–जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

आरजीडब्ल्यूएस परिसर 13 से 15 अगस्त तक रहेगा बंद

श्री विजय पुरम, 26 जुलाई

सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में आम जनता और पर्यटकों को सूचित किया गया है कि स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह के उपलक्ष्य में राजीव गांधी जल क्रीड़ा परिसर (आरजीडब्ल्यूएस) श्री विजय पुरम 13 से 15 अगस्त, 2026 तक बंद रहेगा। इस अवधि के दौरान सभी जल क्रीड़ा गतिविधियां निलंबित रहेंगी।

बी.टेक. द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री प्रवेश परीक्षा 30 जुलाई को

श्री विजय पुरम, 26 जुलाई।

बी.टेक. द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री (पार्श्व प्रवेश) के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रवेश के इच्छुक सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि लेटरल एंट्री (डिग्री) प्रवेश परीक्षा का आयोजन 30 जुलाई, 2026 को जीबी–205, ग्रीन बिल्डिंग, 'डीब्राइट' में किया जाएगा।

विषयों की पाठ्यवस्तु एमएसबीटीई (महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड)–'के स्कीम' के अनुसार होगी, जो लिंक https://econtent.msbte.edu.in/curriculum_search/# पर उपलब्ध है।

परीक्षा कार्यक्रम एवं रिपोर्टिंग समय इस प्रकार हैः

- परीक्षा की तिथिः 30/07/2026 (गुरुवार)
- परीक्षा का समयः
- सुबह 10 बजे से सुबह 11.30 बजे तक–बी.टेक. (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग–सीएसई)
- रिपोर्टिंग का अंतिम समयः सुबह 9.30 बजे
- दोपहर 12 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक–बी.टेक. (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग–ईसीई)
- रिपोर्टिंग का अंतिम समयः सुबह 11.30 बजे
- दोपहर 2.30 बजे से शाम 4 बजे तक–बी.टेक. (सिविल इंजीनियरिंग)
- रिपोर्टिंग का अंतिम समयः दोपहर 2 बजे

डीब्राइट द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण के लिए कार्यालय समय के दौरान 9531855965 अथवा 9474212915 पर संपर्क किया जा सकता है।

सभी अभ्यर्थियों को किसी भी अद्यतन सूचना के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइटों https://dbrait.andamannicobar.gov.in या https://collegeadmission.andamannicobar.gov.in/#no-back-button का अवलोकन करने की सलाह दी गई है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत विभिन्न निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन मांगे गए

श्री विजय पुरम, 26 जुलाई

गत 13 जुलाई, 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के स्थान पर, डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट), पहाड़गांव के कौशल विकास कार्यक्रम प्रकोष्ठ द्वारा पात्र अभ्यर्थियों से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित विभिन्न अल्पकालिक निःशुल्क प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

कार्य भूमिका का नाम	एनएसक्यू एफ स्तर	प्रवेश क्षमता (संख्या) एवं प्रशिक्षण स्थल	अवधि	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता
डिजिटल मित्र	3	20 टीवीईटी केन्द्र, कार निकोबार	270 घंटे/02 माह	12वीं उत्तीर्ण अथवा 10वीं उत्तीर्ण के साथ 1.5 वर्ष का अनुभव
फैशन डिजाइनर	5	20 डीब्राइट, पहाड़गांव	570 घंटे/03 माह	12वीं उत्तीर्ण के साथ 3 वर्ष का अनुभव अथवा फैशन डिजाइन एवं परिधान प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा के साथ 1 वर्ष का अनुभव
		20 टीवीईटी केन्द्र, कैंपबेल बे		
		20 टीवीईटी केन्द्र, डिगलीपुर		
ऑटोमोटिव बॉडी पेंटिंग तकनीशियन	3	15 डीब्राइट, पहाड़गांव	450 घंटे/03 माह	11वीं उत्तीर्ण अथवा 10वीं उत्तीर्ण/आईटीआई के साथ 1 वर्ष का अनुभव अथवा 10वीं उत्तीर्ण के साथ 2 वर्ष का अनुभव
मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग /शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग वेल्डर	4	15 डीब्राइट, पहाड़गांव	390 घंटे/03 माह	10वीं उत्तीर्ण अथवा 8वीं उत्तीर्ण के साथ आईटीआई अथवा 8वीं उत्तीर्ण के साथ 3 वर्ष का अनुभव

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे पाठ्यक्रम में पंजीकरण हेतु एसडीपी प्रकोष्ठ, 'डीब्राइट' (मोबाइल 9474277665, 7063932001, 9679547729) से 28 जुलाई, 2026 तक अथवा उससे पूर्व संपर्क करें। संस्थान ने पात्र युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने, पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत स्किल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कौशल, व्यावहारिक कार्यस्थल अनुभव प्राप्त करने तथा अपने रोज़गार अवसरों में वृद्धि करने का आग्रह किया है।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियम, 2005 में संशोधन का प्रस्ताव

भारत सरकार ने अंडमान तथा निकोबार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रेगुलेशन, 1994 (A-NITCP) विनियमन, 1994) (1994 का संख्या 07) को भारत के राजपत्र में दिनांक 05/08/1994 के संख्या 61 के तहत जारी और अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 19/12/1994 के संख्या 61 के तहत फिर से अण्डमान तथा निकोबार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इसके बाद, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासक/माननीय उप–राज्यपाल ने अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (A-NITCP) विनियमन, 1994 की धारा–34 के तहत नियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंडमान तथा निकोबार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियम, 2005 को दिनांक 28/09/2005 के संख्या 283 के तहत बनाया और अधिसूचित किया।

जबकि, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने अंडमान तथा निकोबार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियम, 2005 में संशोधन करके कुछ प्रावधान शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (EoDB) के 'अनुपालन में कमी और विनियमन–मुक्त करने (Deregulation) – चरण–II' को सुविधाजनक बनाना है। इसमें मौजूदा मास्टर प्लान की वैधता को कुछ संशोधनों के साथ बढ़ाने का प्रस्ताव है, ताकि उस विकास क्षेत्र के लिए प्रशासक द्वारा मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने और मंजूरी मिलने तक अनुमति दी जा सके।

तदनुसार, सभी संबंधित लोगों से 'अनुलग्नक–I' (Annexure-I) में दिए गए संशोधन प्रस्ताव पर राय, सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई हैं। अनुरोध है कि संशोधन प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति/सुझाव/टिप्पणी, हो तो अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर 'मुख्य अभियंता और नगर योजनाकार, मुख्य अभियंता का कार्यालय, अण्डमान लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, पोर्ट ब्लेयर' को भेजी जाए। राय ई–मेल tcpdtcp@gmail.com पर भी भेजी जा सकती है।

मुख्य अभियंता और नगर योजनाकार

अनुलग्नक –I

मसौदा अधिसूचना

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रेगुलेशन, 1994 (1994 का नंबर 7) की धारा 34 की उप–धारा–1 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के उप–राज्यपाल (प्रशासक) एतद्द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियम, 2005 (जो 28/09/2005 को नंबर 275/2005 के तहत नोटिफ़ाई किए गए थे) में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं : –

"अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह नगर और ग्राम योजना (संशोधन) नियम, 2026"

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना :

I. इन नियमों को "अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह नगर और ग्राम योजना (संशोधन) नियम, 2026" कहा जाएगा।

II. ये पूरे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह केंद्र शासित प्रदेश में लागू होंगे।

III. ये भारत के राजपत्र (Official Gazette) में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह नगर और ग्राम योजना नियम, 2005 (जिसे इसके बाद मुख्य नियम, 2005 कहा जाएगा) के नियम–3 के उप–नियम 3(a) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगाः

3(3)(a) एडमिनिस्ट्रेटर, उस डेवलपमेंट एरिया के लिए नया मास्टर प्लान फाइनल होने तक, मौजूदा मंजूर मास्टर प्लान को ऐसे बदलावों के साथ जारी रखने की इजाज़त दे सकते हैं, जिनकी जानकारी अलग से दी जाएगी।

इस बदलाव के दौर में, संबंधित डेवलपमेंट एरिया में प्लानिंग की मंजूरी, ज़मीन के इस्तेमाल के नियम, डेवलपमेंट की मंजूरी, बिल्डिंग की मंजूरी और डेवलपमेंट कंट्रोल से जुड़े सभी मामले मौजूदा मास्टर प्लान (समय–समय पर किए गए बदलावों के साथ) और लागू नियमों, डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत ही चलते रहेंगे।

उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।
उप राज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

ह./–
उप सचिव (पीडब्ल्यूडी)
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन,
सचिवालय, श्री विजय पुरम

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय
फार्म–III

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगर और ग्राम योजना विनियमन 1994 की धारा–9 की उप–धारा–4 के तहत मास्टर प्लान में संशोधन की अधिसूचना

संख्या........ फा सं. M-170951(166)/22026-AT-CP-APWD-APWD-AN (कंप्यूटर संख्याः 142551) : फा सं. TP-03/CE/2026/..... ... अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम योजना विनियमन, 1994 (1994 का नंबर 7) की धारा–9 की उप–धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के उप–राज्यपाल, केंद्र सरकार की मंजूरी से 'श्री विजय पुरम प्लानिंग एरिया' के मास्टर प्लान में नीचे दिए गए बदलावों का प्रस्ताव करते हैं। इस मास्टर प्लान को आम जनता और दूसरों के हित में, और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (EoDB) के तहत भारत सरकार की पहलों को आगे बढ़ाने के लिए, अंडमान और निकोबार गज़ट में 01/03/2012 को नंबर 35 के तहत मंजूरी दी गई थी और प्रकाशित किया गया था।

इसलिए, उक्त विनियम की धारा–9 की उप–धारा (3) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेफ्टिनेंट गवर्नर (प्रशासक) **'द डेली टेलीग्राम्स'** और **'द्वीप समाचार'** में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर उक्त बदलावों पर जनता से सुझाव आमंत्रित करते हैं।

संशोधन

श्री विजय पुरम प्लानिंग एरिया–2030 के मास्टर प्लान की रिपोर्ट (रिपोर्ट वॉल्यूम–II) में प्रस्तावित बदलावों को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2005 के नियम–3 (4) के अनुसार फॉर्म–III में प्रकाशित किया गया है।

क्र.सं	पृष्ठ संख्या	खण्ड संख्या	विवरण
1	**2**	**3**	**4**
	62 से 66	खंड संख्या 5.2.4	5.2.4 के अंतर्गत मुख्यभूमि-उपयोग क्षेत्रों के लिए नियम वाले क्लॉज़ की जगह निम्नलिखित क्लॉज़ रखा जाएगा: **5.2.4. मुख्य भूमि-उपयोग के लिए नियम क्षेत्र** अलग-अलग ज़ोन में ज़मीन के इस्तेमाल के लिए मना किए गए कामों और गतिविधियों (नेगेटिव लिस्ट) के बारे में नीचे हर ज़ोन के सामने बताया गया है।

क्र. सं.	भूमि उपयोगगति विधियों की श्रेणियां	हर मुख्य ज़मीन के इस्तेमाल वाले ज़ोन में मना किए गए इस्तेमाल/गतिविधियाँ	टिप्पणी
1	**आवासीय भूमि उपयोग क्षेत्र**		
	वाणिज्यिक	1. कमर्शियल ऑफिस/ प्राइवेट और सरकारी। 2. रिटेल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। 3. होटल, रेस्टोरेंट और लॉजिंग की जगह 4. सिनेमा थिएटर, ऑडिटोरियम,प्रीव्यू थिएटर, डबिंग थिएटर, रिकॉर्डिंग स्टूडियोमल्टीप्लेक्स और कॉन्सर्ट हॉल। 5. बैंक/फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट हाउस के हेडक्वार्टर।	500 वर्ग मीटर से ज़्यादा फ़्लोर एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
		1. थोक बाज़ार, वेयर हाउसिंग और गोदाम 2. कृषि मंडियां 3. भारी सामान के बाज़ार 4. बूचड़खाने	पूरी तरह से प्रतिबंधित
	औद्योगिक	अंडमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा समय-समय पर वर्गीकृत सभी उद्योगों में, मछली पकड़ने के उद्योग और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों को छोड़कर, बाकी सभी उद्योगों को 'ऑरेंज' और 'रेड' उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है।	
	परिवहनऔर संचार	1. एयरपोर्ट की इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर 2. शिपिंग यार्ड 3. कार्गो टर्मिनल 4. कंटेनर स्टोरेज / वेयरहाउस 5. बंदरगाह	
	पार्क और खुली जगहें	1. पानी के किनारे का विकास 2. चिड़ियाघर 3. वनस्पति उद्यान 4. पक्षी अभयारण्य 5. स्मारक	
2	**वाणिज्यिक**		
	औद्योगिक	अंडमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा समय-समय पर वर्गीकृत सभी उद्योगों में, मछली पकड़ने के उद्योग और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों को छोड़कर, बाकी सभीउद्योगों को 'ऑरेंज' और 'रेड' उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है।	
	परिवहनऔरसंचार	1. एयरपोर्ट की इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर 2. शिपिंग यार्ड 3. कार्गो टर्मिनल 4. कंटेनर स्टोरेज / वेयरहाउस 5. बंदरगाह	
	पार्क और खुली जगहें	1. वॉटर फ्रंट डेवलपमेंट 2. प्राणी उद्यान 3. बॉटनिकल गार्डन 4. पक्षी अभयारण्य 5. स्मारक	
3.	**औद्योगिक भूमि-उपयोग क्षेत्र**		
	सार्वजनिकऔर अर्ध-सार्वजनिक	**सरकारी दफ़्तर:** 1. सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों और संस्थानों के दफ़्तर। 2. डाक सेवाएँ, मुख्यालय, ज़िला डाकघर। **शैक्षिक संस्थान:** 1. हाई स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान और विश्वविद्यालय। 2. रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर। 3. ट्रेनिंग सेंटर। 4. टेस्टिंग लैब।	600 वर्ग मीटर से ज़्यादा फ़्लोर एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
		स्वास्थ्य सुविधाएँ: 1. सरकारी और प्राइवेट अस्पताल, स्पेशलिटी अस्पताल, मानसिक रूप से अक्षम, लाइलाज बीमारी वाले मरीज़ों / संक्रामक रोगों के लिए अस्पताल। 2. पशु चिकित्सालय।	600 वर्ग मीटर से ज़्यादा फ़्लोर एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
		धार्मिक और सामुदायिक सेवाएँ: 1. पूजा-स्थल, 300 वर्ग मीटर से बड़े धार्मिक भवन, 600 वर्ग मीटर से बड़े समाज कल्याण संस्थान 2. सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों के कार्यालय 3. 600 वर्ग मीटर से अधिक फ़्लोर एरिया वाले ऑडिटोरियम, सांस्कृतिक परिसर, असेंबली हॉल, मैरिजहॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल। **अन्य:** 1. मौसम विज्ञान वेधशालाएँ। 2. स्मारक। 3. संग्रहालय, आर्टगैलरी और अभिलेखागार। 4. पुलिस मुख्यालय, पुलिस] स्टेशन, जेल 5. फायर स्टेशन	
	पार्क और खुली जगहें	1. वॉटर फ्रंट डेवलपमेंट 2. चिड़ियाघर 3. बॉटनिकल गार्डन 4. पक्षी अभयारण्य 5. स्मारक	
4	**सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक भूमि-उपयोग क्षेत्र**		
	वाणिज्यिक	1. कमर्शियल ऑफिस / प्राइवेट और सरकारी। 2. रिटेल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। 3. होटल, रेस्टोरेंट और लॉजिंग की जगहें। 4. सिनेमा थिएटर, ऑडिटोरियम, प्रीव्यू थिएटर, डबिंग थिएटर, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मल्टीप्लेक्स और कॉन्सर्ट हॉल। 5. बैंक/फाइनेंशियल स्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट हाउस के हेड क्वार्टर।	500 वर्ग मीटर से ज़्यादा फ़्लोर एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
		1. थोक बाज़ार, वेयर हाउसिंग और गोदाम 2. कृषि मंडियां 3. भारी सामान के बाज़ार 4. बूचड़खाने	पूरी तरह से प्रतिबंधित
	औद्योगिक	अंडमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने समय-समय पर मछली पकड़ने के उद्योग और उससे जुड़ी गतिविधियों को छोड़कर, सभी उद्योगों को 'ऑरेंज' और 'रेड' उद्योगों की श्रेणी में बांटा है।	
	परिवहनऔर संचार	1. एयरपोर्ट की इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर 2. शिपिंग यार्ड 3. कार्गो टर्मिनल 4. कंटेनर स्टोरेज / वेयरहाउस 5. बंदरगाह	
5	**परिवहन औरसंचार भूमि-उपयोग क्षेत्र**		
	वाणिज्यिक	1. थोक बाज़ार, वेयर हाउसिंग और गोदाम 2. कृषि मंडियां 3. भारी सामान के बाज़ार 4. किसी भी आकार के बूचड़खाने प्रतिबंधित हैं	
	सार्वजनिक और अर्धसार्वजनिक	**सरकारी कार्यालय:** 1. सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों और संस्थानों के कार्यालय। 2. डाकसेवाएँ, मुख्यालय, ज़िला डाकघर।	600 वर्ग मीटर से ज़्यादा फ़्लोर एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
		शैक्षिक संस्थान: 1. हाई स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान और विश्वविद्यालय 2. रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर 3. ट्रेनिंग सेंटर 4. टेस्टिंग लैबोरेटरी	
		स्वास्थ्य सुविधाएं: 1. सरकारी और प्राइवेट अस्पताल, स्पेशलिटी अस्पताल, मानसिक रूप से अक्षम, गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों / संक्रामक रोगों के लिए अस्पताल 2. पशु चिकित्सालय	600 वर्ग मीटर से ज़्यादा फ़्लोर एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
		धार्मिक और सामुदायिक सेवाएं: 1. पूजा-स्थल, 300 वर्ग मीटर से बड़े धार्मिक भवन, 600 वर्ग मीटर से बड़े समाज कल्याण संस्थान। 2. सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों के कार्यालय। 3. 600 वर्ग मीटर से बड़े ऑडिटोरियम, सांस्कृतिक परिसर, असेंबली हॉल, मैरिज हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल। **अन्य:** 1. मौसम विज्ञानकेंद्र 2. स्मारक 3. म्यूज़ियम, आर्टगैलरी और आर्काइव 4. पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस स्टेशन, जेल 5. फायर स्टेशन	
	पार्क और खुली जगहें	1. प्रदर्शनियाँ 2. उत्सव स्थल 3. गेला स्थल 4. सर्कस का मैदान 5. कैंपिंग स्थल 6. ओपन-एयर थिएटर 7. मनोरंजन और अम्यूजमेंट पार्क 8. सभास्थल (मैदान) 9. वॉटर-फ्रंट डेवलपमेंट 10. चिड़ियाघर 11. वनस्पति उद्यान 12. पक्षी अभयारण्य 13. स्मारक	
6.	**पार्क और खुली जगहें भूमि-उपयोग क्षेत्र**		
	वाणिज्यिक	1. कमर्शियल ऑफिस / प्राइवेटऔर सरकारी। 2. रिटेल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। 3. होटल, रेस्टोरेंट और लॉजिंग की जगहें। 4. सिनेमा थिएटर, ऑडिटोरियम, प्रीव्यू थिएटर, डबिंग थिएटर, रिकॉर्डिं गस्टूडियो, मल्टीप्लेक्स और कॉन्सर्टहॉल। 5. बैंक/फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट हाउस के हेडक्वार्टर।	500 वर्ग मीटर से ज़्यादा फ़्लोर एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
		1. थोक बाज़ार, वेयर हाउसिंग और गोदाम 2. कृषि मंडियां 3. भारी सामान के बाज़ार 4. बूचड़खाने	पूरी तरह से प्रतिबंधित
	औद्योगिक	औद्योगिक विकास के सभी रूप	
	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक	**सरकारी दफ़्तर:** 1. फायर स्टेशन को छोड़कर, जनता की सेवा करने वाले सरकारी विभागों के कार्यालय।	300 वर्ग मीटर से ज़्यादा प्लिंथ एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
		स्वास्थ्य सुविधाएँ: 1. सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, निजी नर्सिंग होम और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएँ **धार्मिक और सामुदायिक सेवाएँ:** 1. पूजा-स्थल 2. समाज कल्याण और सांस्कृतिक संस्थान 3. असेंबली हॉल और मैरिज हॉल	
		सरकारी कार्यालय: 1. अर्ध सरकारी विभाग और संस्थान। 2. डाक सेवाएँ, मुख्यालय, ज़िला डाकघर **शैक्षिक संस्थान:** 1. उच्च विद्यालय, 2. उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय तकनीकी संस्थान और विश्वविद्यालय 3. अनुसंधान और विकास केंद्र, 4. प्रशिक्षण केंद्र 5. परीक्षण प्रयोगशालाएँ	

					हेल्थ सुविधाएं: 1. स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मानसिक रूप से कमज़ोर, लाइलाज बीमारी वाले मरीज़ों / संक्रामक रोगों के लिए हॉस्पिटल 2. जानवरों का हॉस्पिटल **धार्मिक औरसामुदायिकसेवाएं:** 1. पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट केऑफिस 2. ऑडिटोरियम और कॉन्फ्रेंस हॉल **अन्य:** 1. मौसम विज्ञानकेंद्र 2. स्मारक 3. म्यूज़ियम, आर्टगेलरी और आर्काइव 4. पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस स्टेशन, जेल 5. फायर स्टेशन	
				परिवहन और संचार	1. 30HP से ज़्यादा क्षमता वाले फ्यूल फिलिंग स्टेशन/सर्विस स्टेशन 2. ट्रांसपोर्टऑफिस 3. गुड्स टर्मिनल 4. ट्रक टर्मिनल 5. सामान के थोक व्यापार के लिए स्टोरेज से जुड़े वेयर हाउस 6. गोदाम 7. लोडिंग-अनलोडिंग प्लेट फॉर्म, वे-ब्रिज (वजन करने वाले प्लेटफॉर्म) 8. वायरलेस स्टेश 9. रेडियो, टेलीविज़न स्टेशन, ब्रॉड कास्टिंग सेंटर, टेली कास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन स्टेशन 10. हेलीपैड 11. एयरपोर्ट की इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर 12. शिपिंगयार्ड 13. कार्गो टर्मिनल 14. कंटेनर स्टोरेज/वेयर हाउस 15. हार्बर (बंदरगाह)	
			7	**जलमग्नभूमि**		
				वाणिज्यिक	1. कमर्शियल ऑफिस / प्राइवेट और सरकारी। 2. रिटेल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। 3. होटल, रेस्टोरेंट और रहने की जगहें (लॉजिंग)। 4. सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, प्रीव्यू थिएटर, डबिंग थिएटर, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ल्टीप्लेक्स और कॉन्सर्ट हॉल। 5. बैंक/वित्तीय संस्थानों और कॉर्पोरेट हाउस के हेडक्वार्टर।	500 वर्ग मीटर से ज़्यादा प्लिंथ एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
					1. थोक बाज़ार, वेयर हाउसिंग और गोदाम 2. कृषि मंडियां 3. भारी सामान के बाज़ार 4. बूचड़खाने	पूरी तरह से प्रतिबंधित
				औद्योगिक	अंडमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने समय-समय पर मछली पकड़ने के उद्योग और उससे जुड़ी गतिविधियों को छोड़कर, सभी उद्योगों को 'ऑरेंज' और 'रेड' उद्योगों की श्रेणी में बांटा है।	
				सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक	**सरकारी दफ़्तर:** 1.फ़ायर स्टेशन को छोड़कर, जनता की सेवा करने वाले सरकारी विभागों के दफ़्तर। **शैक्षिकसंस्थान:** 1. हाईस्कूल **स्वास्थ्यसुविधाएँ:** 1. सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, प्राइवेट नर्सिंग होम और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएँ **धार्मिक और सामुदायिक सेवाएँ:** 1. पूजा-स्थल 2. समाज कल्याण और सांस्कृतिक संस्थान 3. असेंबली हॉल और मैरिज हॉल	300 वर्ग मीटर से ज़्यादा प्लिंथ एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधितहैं।
					सरकारी कार्यालय: 1. अर्ध-सरकारी विभाग और संस्थान। 2. डाक सेवाएँ, मुख्यालय, ज़िला डाकघर। **शैक्षिक संस्थान:** 1. उच्च माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज, तकनीकी संस्थान और विश्वविद्यालय। 2. अनुसंधान और विकास केंद्र। 3. प्रशिक्षण केंद्र। 4. परीक्षण प्रयोगशालाएँ **स्वास्थ्य सुविधाएँ:** 1. स्पेशलिटी अस्पताल, मानसिक रूप से अक्षम, गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों / संक्रामक रोगों के लिए अस्पताल 2. पशु चिकित्सालय **धार्मिक और सामुदायिक सेवाएँ:** 1.सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों के कार्यालय 2. ऑडिटोरियम और कॉन्फ्रेंस हॉल **अन्य:** 1. मौसम विज्ञान वेधशालाएँ 2. स्मारक 3. संग्रहालय, आर्टगैलरी और अभिलेखागार 4. पुलिस मुख्यालय, पुलिस स्टेशन, जेल 5. फायर स्टेशन	
				परिवहन और संचार	1. एयरपोर्ट की इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर 2. शिपिंग यार्ड 3. कार्गो टर्मिनल 4. कंटेनर स्टोरेज / वेयर हाउस 5. बंदरगाह	
			नोट: 1. वाइपर, क्रेकाबाद, चौलदारी, बदमाश पहाड़, धनीखारी, सिप्पीघाट और वांडूर जैसे रेवेन्यू गांवों में 'पार्क और खुली जगह' (Parks & Open Spaces) वाले ज़ोन में, जिन्हें टूरिज़्म और उससे जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए चुना गया है, और हैड्डो गांव में फोरशोर रोड से सटी ज़मीन के टुकड़ों पर–जो 'पार्क और खुली जगह' ज़ोन में आते हैं और जहां होटल, रेस्टोरेंट, रिटेल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी टूरिज़्म गतिविधियां विकसित करने की संभावना है–वहां अथॉरिटी द्वारा ऐसी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।			
2.	54-60	क्लॉज़नंबर 5.2.3-क – 5.2.3-ज	**क्लॉज़ नंबर 5.2.3-क से 5.2.3-ज के तहत बताए गए अलग-अलग ज़ोन में ज़मीन के इस्तेमाल के ग्रुपिंग को हटा दिया जाएगा।**			

उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।
उप राज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,
ह./–
उप सचिव (पीडब्ल्यूडी)
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन,
सचिवालय, श्री विजय पुरम

इतिहास के पन्नों में 27 जुलाई : जसपाल राणा ने विश्व निशानेबाजी में भारत को दिलाया ऐतिहासिक स्वर्ण पदक

नई दिल्ली, 26 जुलाई।

27 जुलाई भारतीय खेल इतिहास में निशानेबाजी के क्षेत्र की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज है। इसी दिन वर्ष 1994 में भारत के युवा निशानेबाज जसपाल राणा ने इटली के मिलान में आयोजित 46वीं विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया।

जसपाल राणा ने प्रतियोगिता में 600 में से 569 अंक हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया और विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस शानदार प्रदर्शन ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी जगत में नई पहचान दिलाई और भारत का नाम विश्व खेल मंच पर सम्मान के साथ स्थापित किया।

यह उपलब्धि जसपाल राणा के करियर का पहला विश्व स्तरीय स्वर्ण पदक थी। इसके बाद उन्होंने एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ खेलों और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अनेक पदक जीतकर भारतीय निशानेबाजी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

जसपाल राणा की यह ऐतिहासिक जीत भारतीय निशानेबाजी के लिए एक प्रेरणादायक क्षण साबित हुई। उनकी सफलता ने देश के अनेक युवा खिलाड़ियों को इस खेल की ओर आकर्षित किया और भारत को विश्व निशानेबाजी में एक मजबूत पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र– 1789 – पहली फेडरल एजेंसी द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्थापना।

1862 – अमेरिकी शहर कैंटन में तूफान का कहर, 40 हजार लोगों की मौत।

1888 – फिलिप प्राट ने पहले इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल का प्रदर्शन किया।

1897 – बाल गंगाधर तिलक पहली बार गिरफ्तार किए गए।

1935 – चीन की यांग जी और होआंग नदी में बाढ़ से दो लाख लोगों की मौत।

1939 – सीआरपीएफ की स्थापना हुई।

1940 – 'अ वाइल्ड हेयर' नामक कार्टून शॉर्ट फिल्म में पहली बार बग्स बनी दुनिया के सामने आया।

1982 – तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लगभग 11 साल में पहली अमेरिकी यात्रा।

1987 – खोजकर्ताओं ने टाइटैनिक का मलबा खोजा।

1990 – ग्राहम गूच द्वारा लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ 333 रन का स्कोर बनाया गया।

2003 – संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन को स्कड मिसाइल बेचने वाली उत्तर कोरियाई कंपनी पर नये प्रतिबंध लगाये।

400 किलोमीटर दूर तक देख सकती है भारतीय वायु सेना की ये हवाई आंख, जानिए नए NETRA-Mk1 अवाक्स की ताकत

नई दिल्ली, 26 जुलाई।

भारत के स्वदेशी NETRA Mk1 एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल बेड़े की हवाई निगरानी क्षमताओं में बड़ी बढ़ोतरी हुई है. मौजूदा तीन NETRA Mk1 जेट में से एक में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार को शामिल कर लिया गया है. जून 2026 के आखिर में अपग्रेड किया हुआ अवाक्स जेट भारतीय वायु सेना को सौंपा गया था. अब यह विमान ऑपरेशनल होने की स्थिति में है.

डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन ने ये साफ नहीं किया है कि अपग्रेडेशन के बाद NETRA Mk1 की ताकत कितनी बढ़ गई है. लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि पुराने गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड रडार के मुकाबले गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार बेहद ताकतवर है. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से आसमान में भारतीय वायुसेना की निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी.

डिफेंस डॉट इन की एक रिपोर्ट के अनुसार, बेसिक NETRA Mk1 डुअल S-बैंड AESA रडार से काम करता है. यह दुश्मन के फाइटर जेट को 250 से 300 किलोमीटर की दूरी से देख सकता है. इसकी तुलना में अपग्रेड किया हुआ अवाक्स 400 से 450 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों को देख सकता है. एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट की रेंज में इतना बड़ा इजाफा भारतीय वायुसेना के लिए बेहद अहम है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने नेत्र Mk II प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू कर दिया है. पहले नेत्र विमान (Mk 1) ब्राजील के एम्ब्रेयर ERJ–145 पर बेस्ड थे. ये आकार में छोटे हैं. लेकिन नेत्रा Mk II के लिए एयर इंडिया से प्राप्त एयरबस A321 विमानों को मिलिट्री स्टैंडर्ड में बदला जा रहा है. बड़ा प्लेटफॉर्म होने के कारण इसमें अधिक पेलोड, आधुनिक राडार और अधिक समय तक हवा में रहने की क्षमता होगी. नेत्रा Mk II के ऊपरी हिस्से पर पर स्वदेशी AESA रडार लगाया जाएगा. ये रडार विमान को 300 डिग्री से 360 डिग्री का कवरेज देगा. नेत्रा Mk II दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को बेहद लंबी दूरी से ट्रैक करने में सक्षम होगा. नेत्र Mk II अवाक्स हवाई क्षेत्र में रियल–टाइम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह काम करेंगे.

एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल विमान हवा में तैरता हुआ एक मिड–एयर बैटल मैनेजमेंट सेंटर होता है. यह दुश्मन के स्टील्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को लंबी दूरी से ट्रैक कर लेता है. ये विमान अपने देश की वायुसेना के लड़ाकू विमानों को रियल टाइम डेटा भेजते हैं जिससे मिशन के दौरान पायलट को लक्ष्य खोजने और दुश्मन के विमानों की लोकेशन पता लगाने में आसानी होती है.

27 जुलाई को मनाया जाता है सीआरपीएफ स्थापना दिवस, जानिए इतिहास और महत्व

नई दिल्ली, 26 जुलाई।

हर साल 27 जुलाई को सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल के गठन और उसके योगदान को याद करना और सम्मानित करना है। सीआरपीएफ बल कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आपको बता दें कि 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में सीआरपीएफ का गठन हुआ था। देश की आजादी के बाद साल 1949 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा गया। इस बल का मुख्य उद्देश्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, नक्सलवाद से निपटना, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना और आतंकवाद का मुकाबला करना शामिल है।

सीआरपीएफ स्थापना दिवस का बल की सेवा भावना और साहसिक योगदान को सम्मानित करने का दिन है। यह दिन बल के जवानों और अधिकारियों के समर्पण, कड़ी मेहनत और बलिदान के लिए मनाया जाता है। इस दिन सम्मान समारोह, परेड और अन्य तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कई महत्वपूर्ण मिशनों में सीआरपीएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीआरपीएफ राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने में अपने श्रेष्ठ योगदान के लिए जाना जाता है।

इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बल के जवानों और अधिकारियों के मनोबल को बढ़ावा देने के साथ उनके योगदान को मान्यता देना है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा में बल के योगदान को याद रखना है। इस दिन यानी की स्थापना दिवस के मौके पर CRPF के विभिन्न इकाइयों और केंद्रों में विशेष परेड और समारोह का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर जवानों और अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। वहीं जवानों और अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पदक और पुरस्कार दिए जाते हैं। सीआरपीएफ स्थापना दिवस के मौके पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों जैसे–गायन, नृत्यों और नाटकों का आयोजन होता है। इसके अलावा CRPF के महत्व और उनकी भूमिका के बारे में जन जागरुकता के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप–2026 का खिताब अपने नाम किया

नई दिल्ली, 26 जुलाई।

भारत की युवा स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप–2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलेम को सीधे तीन गेम में 11–3, 11–7 और 11–9 से हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। अनाहत ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और एक भी गेम गंवाए बिना खिताब अपने नाम किया।अब उनकी नजर लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक पर है, जहां स्क्वाश पहली बार ओलंपिक खेलों में शामिल होगा।

दुनिया का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क: धरती के 'रूफटॉप वाइल्डलाइफ जोन' में इंसानों से ज्यादा पाए जाते हैं जानवर

नई दिल्ली, 26 जुलाई।

धरती अपने आप में बेहद अनोखी है, यहां हर जगह कुछ खास छिपा है. जब हम प्रकृति को करीब से समझते हैं, तो कई ऐसी चीजें सामने आती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं. आज हम आपको एक ऐसे ही अद्भुत नेशनल पार्क के बारे में बता रहे हैं, जो ऊंचाई, खूबसूरती और जैव विविधता के लिए दुनिया भर में मशहूर है.

दुनिया का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान सागरमाथा नेशनल पार्क है. यह हिमालय में, पूर्वी नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में स्थित है. इसकी स्थापना साल 1976 में हुई थी और यह लगभग 1,148 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है. इस पार्क की ऊंचाई करीब 2,845 मीटर से लेकर 8,848 मीटर तक जाती है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है.

यह नेशनल पार्क समुद्र तल से करीब 2,800 मीटर से लेकर लगभग 8,849 मीटर तक फैला हुआ है. यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे ऊंचे नेशनल पार्कों में गिना जाता है. यहां ल्होत्से जैसे विशाल पर्वत भी मौजूद हैं, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं.

सागरमाथा का मतलब होता है आकाश की देवी. वहीं स्थानीय लोग माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका मतलब है दुनिया की माँ देवी. यह नाम केवल पहाड़ों को नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के आध्यात्मिक महत्व को भी दर्शाता है. यहां की प्रकृति और संस्कृति दोनों ही गहराई से जुड़े हुए हैं.

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह उन गिने–चुने नेशनल पार्कों में से एक है, जहां लोग स्थायी रूप से रहते हैं. यहां के मशहूर गांव नामचे बाजार में हमेशा लोगों की चहल–पहल बनी रहती है. यह इलाका खासतौर पर शेरपा समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो पर्वतारोहण में अपनी बहादुरी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं.

पहली नजर में यह जगह बंजर और बेहद ठंडी लग सकती है, लेकिन यहां कई अनोखे वन्यजीव पाए जाते हैं. इस पार्क में आप स्नो लेपर्ड, लाल पांडा और रंग–बिरंगे हिमालयन मोनाल को देख सकते हैं. ये जानवर–पक्षी खुद को इसके कठोर वातावरण में ढाल चुके हैं और यहां की शान हैं.

सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान भी जलवायु परिवर्तन से अछूता नहीं है. यहां के खुंबू ग्लेशियर जैसे हिमनद धीरे–धीरे पिघल रहे हैं. इसका असर न सिर्फ यहां के पर्यावरण पर, बल्कि यहां रहने वाले लोगों और वन्यजीवों पर भी पड़ रहा है. इन बातों के बावजूद, सागरमाथा नेशनल पार्क सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह रोमांच, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम है. यहां हर साल दुनिया भर से पर्वतारोही और प्रकृति प्रेमी आते हैं.